



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 21/05/2019

File No. Tour Programme/1/VC/2019/RU-III

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव
मथा प्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग,
मंत्रालय, बल्लभ भवन
भोपाल (म.प्र.)
2. जिला कलेक्टर,
जिला छिन्दवाड़ा,
(म.प्र.)
3. जिला कलेक्टर,
जिला छिन्दवाड़ा,
(म.प्र.)


2. कार्यकारी निदेशक,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
झांसी (उ.प्र.)

विषय: दिनांक 06.01.2019 से 23.01.2019 को माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा झांसी (उ.प्र.) एवं छिन्दवाड़ा, (म.प्र.) में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और छिन्दवाड़ा में की गए दौरे का कार्यवृत्त।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय दिनांक 06.01.2019 से 23.01.2019 को माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा झांसी (उ.प्र.) एवं छिन्दवाड़ा, (म.प्र.) में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और छिन्दवाड़ा में की गए दौरे का की रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुसूचित है कि समीक्षा रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक भर्ती भिजाने का कृपा करें।

भवदीय,
(डॉ. लक्ष्मी चौधुरी)
निदेशक



प्रतिलिपि:

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाइट में अपलोड करें।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
सुश्री अनुसुईया उड्के, उपाध्यक्ष

प्रवास प्रतिवेदन

16 जनवरी 2019 से 13 जनवरी 2019 झाँसी एवं छिन्दवाड़ा

-:: TOUR REPORT ::-

-:: DATED 16/01/2019 TO 23/01/2019 {JHANSI AND CHHINDWARA} ::-

1. दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम	सुश्री अनुसुईया उड्के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी उपाध्यक्ष के सहायक, निज सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार
2. दौरा की तिथि, दिन, दिनांक, वर्ष	दिनांक 16 जनवरी 2019 से दिनांक 23 जनवरी 2019 तक
3. दौरा किये गये स्थान	झाँसी (उत्तरप्रदेश) एवं छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश)
4. मुख्य व्यक्ति /अधिकारीगण एवं जिन संगठनों से मिले	निम्नानुसार

1)	A. <u>भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भारत सरकार, झाँसी इकाई</u> - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यगण - श्री चब्दकांत बगौरिया, महामंत्री, श्री के.डी.अहिरवार, अध्यक्ष, श्रीमती मनोरमा देवी, श्री सुधीर कुमार, श्री रामसेवक, श्री ओमपाल, श्री रामशंकर, श्री हौसिला प्रसाद, श्री लखनलाल श्रीवास, श्री विनोद पीटर, श्री दयालीराम, डॉ. राजीव गंभीर, श्री अर्जुनसिंह, श्री विनोद केवट, श्री बी.के.माँझी, श्रीमती नीलम इक्का, श्री राजेश, श्री रविंद्र राम, श्री ऋषिकांत मीना, श्री पी.बी.के.बारा, श्री विरंची नायक, श्री सुनील बोकड़े, श्री पी.बी.एस. इक्का, श्री हेमब्रम भगलू, श्री के.डी. माँझी, श्री एम.सी.मरांडी, श्री दिनेश परते एवं अन्य सदस्यगण।
	B. <u>भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भारत सरकार, झाँसी इकाई</u> - भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यगण - श्री सुशील कुमार गुप्ता, श्री ओमप्रकाश शुक्ला, श्री नंदकुमार गुप्ता, श्री इमरत कुशवाहा, श्री दीपक अग्रवाल, श्री महेन्द्र सिंह, श्री संजय सिंह, श्री जे.एन.कमल एवं अन्य सदस्यगण।
	C. <u>भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भारत सरकार, झाँसी इकाई</u> - प्रबंधन के

	अधिकारी कर्मचारी गण - श्री ए.बी.गुप्ता महाप्रबंधक लोको, श्री आर.एन.झॉ महाप्रबंधक ट्रान्सफार्मर, श्री एम.के.खरे, महाप्रबंधक, श्री प्रवीण वार्ष्णेय महाप्रबंधक, श्री आर.के.गौतम, अपर महाप्रबंधक, श्री के.के.चौहान, उप महाप्रबंधक, डॉ. आफताब आलम, उप महाप्रबंधक, कल्याण, श्री बी.के. माँझी, अपर महाप्रबंधक एवं लाईजनिंग अधिकारी, डॉ. संतोष मिश्रा, राजभाषा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण।
2)	<p>गोड समाज महासभा, मध्यप्रदेश का प्रांतीय अधिवेशन एवं युवक-युवती परिचय सम्मेलन छिन्दवाड़ा म.प्र. - कार्यक्रम में श्री बी.एस.परतेती, अध्यक्ष, श्री विजेन्द्र राघव, विधायक बडवारा, श्री नारायण सिंह पट्टा विधायक, श्री केहरसिंह इवनाती, श्री सीताराम गोड, श्री कौशल सिंह पोर्ट, श्रीमती कांता ठाकुर, अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री अक्कन शाह उड्के, श्री विजयसिंह कुशरे, श्री मनमोहन शाह बट्टी, पूर्व विधायक, श्री नेपालसिंह उड्के, श्री सूपचंद धुर्वे, श्री रामगोपाल धुर्वे, श्री गंगासिंह परस्ते, श्री यू.वी.सिंह, श्री राजनाथ सिंह परस्ते, ध्यानसिंह सैयाम, श्री बालेश्वर सिंह, श्री बल्लूसिंह धुर्वे, श्री के.एल.उरेती, श्री डोलनसिंह जगेत, श्री उदलसिंह ठाकुर, श्री गजराज सिंह, श्री लल्लूसिंह धुर्वे, श्री विजयसिंह बट्टी, श्री कमल मर्सकोले, श्री रविन्द्र परते, श्री देवीलाल उड्के, श्री सुनील उड्के, श्री श्याम सुन्दर, श्री रामदास धुर्वे, श्री दिनेश इवने, श्री अरविन्द धुर्वे, श्री नारायण सिंह कुमरे, श्री नेवालाल अहके इसके साथ ही जनजाति समाज के करीब 5000 सदस्यगण उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में सिवनी, बालाधाट, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, शहडौल, अनूपपुर, सिंगरौली, सीधी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, रायसेन, भोपाल, देवास, इन्दौर एवं बैतूल जिलों के जनजाति प्रतिनिधियों ने भाग लिया।</p>
3)	कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा में आयोजित सुनवाई में उपस्थित - श्रीमती कविता बाट्ला, अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाड़ा, श्री महेश अग्रवाल तहसीलदार, श्री एस.पी.सिंह, उप पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा, श्रीमती रशिम जैन, निरीक्षक, श्री अजय शुक्ला तहसीलदार सौंसर, श्री रायसिंह कुशराम तहसीलदार, श्रीमती किरण वरबडे तहसीलदार, श्रीमती मीना दशरिया तहसीलदार, श्रीमती अनीता भोयर, तहसीलदार, श्रीमती तृप्ति धुर्वे, श्री फग्गुलाल, श्रीमती प्रभाबाई यहके, श्री उधो इरपाची, श्री संदीप उड्के, श्री मन्नू धुर्वे, श्री अतरु श्रीमती चन्द्रकांता उड्के एवं अन्य अधिकारी एवं आवेदकों के सहयोगियों की उपस्थिति रही।

5. दौरे के मुख्य बिन्दु

- भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, की झाँसी इकाई में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संगठनों से भेट कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना गया।
- भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, की झाँसी इकाई में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों भेट कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना गया।

- C. गोंड समाज महासभा, मध्यप्रदेश के प्रांतीय अधिवेशन एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन छिन्दवाड़ा में में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता।
- D. छिन्दवाड़ा जिले से संबंधित आयोग में दर्ज सात अपील प्रकरणों में सुनवाई की गई।
- E. जनजाति प्रतिनिधियों से मेंट कर उनके सुझाव एवं समस्याओं को सुना गया।

दिनांक 16/17 जनवरी 2019 भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, झाँसी

- भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, झाँसी इकाई में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एसोसियेशन के पदाधिकारियों के साथ उनकी सेवा शर्तों उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया। संस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की एक ही संयुक्त यूनियन है।



(भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, झाँसी इकाई में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एसोसियेशन तथा भारतीय मजदूर संघ के साथ चर्चा करते हुए
सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)




- उपस्थित पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने जो सुझाव एवं समस्याएँ प्रस्तुत की वे इस प्रकार से हैं :-
- A. डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा प्रशासनिक भवन के समक्ष स्थापित की जाय।
 - B. भेल आवासपुरी में डॉ. भीमराव अम्बेडकर पार्क का निर्माण किया जाय।
 - C. भेल आवासपुरी में डॉ. भीमराव अम्बेडकर वाचनालय की व्यवस्था की जाय।
 - D. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारियों की बैकलाग के आधार पर भर्ती कराई जाय।

- E. पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारियों को वरीयता प्रदान की जाय।
- F. आवास आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था कराई जाय।
- G. भेल याउनशिप में शहीद बिरसामुंडा यादगार भवन का निर्माण कराया जाय।
3. भारतीय मजदूर संघ, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स श्रमिक संघ के पदाधिकारियों द्वारा भी भेंट कर अपने सुझाव एवं मांगपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने भेल मुख्यद्वार पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित कराने का अनुरोध किया।

दिनांक 16/1/2019 - भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, झाँसी प्रबंधन के साथ समीक्षा

4. प्रबंधन द्वारा पावर पार्क प्रेजेन्टेशन के माध्यम से संस्थान की प्रगति से अवगत कराया गया।
- A. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड महाराजा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान है।
 - B. संस्थान में पर्याप्त संख्या में महिला कर्मचारी हैं।
 - C. संस्थान में अधिकारियों कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक से युक्त रखने के लिये समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।
 - D. सोशल कारपोरेट रिस्पान्सिबिलिटी के तहत संस्थान अपना योगदान करता है। इस मद से सड़क, शौचालय, किताब वितरण इत्यादि कार्य किये गये हैं।
 - E. संस्थान में वोकेशनल प्रशिक्षण की व्यवस्था है।
 - F. स्कूल, चिकित्सालय और खेल मैदान हैं।
 - G. संस्थान को समय समय पर गुणवत्ता एवं अन्य मानकों के लिये प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। स्वंयं की लैब भी है।
 - H. संस्थान आधुनिक तकनीकी को अपनाते हुए सोलर ट्रॉफार्मर निर्मित करता है।
 - I. इकाई लाभ में हैं और अच्छा कार्य कर रही है।
 - J. छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
 - K. संस्थान में लाईजनिंग अधिकारी नियुक्त हैं और रोस्टर का संधारण किया जाता है तथा रोस्टर बनाने का प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है।
 - L. अधिकारियों ने कहा कि पब्लिक सेक्टर को सहयोग की आवश्यकता है जो कि दिया जाना चाहिए।
5. संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है जिसमें संस्थान की सभी क्षेत्रों में प्रगति एवं विवरण को देखा जा सकता है।
6. मैंने अपने वक्तव्य उद्बोधन में कर्मचारी संघों एवं अधिकारियों की बैठक में कहा कि आयोग के माध्यम से हम आपकी समस्याओं का समाधान करें। आयोग जनजाति समाज का सुरक्षा कवच है। इसलिये हमारा प्रयास है कि आयोग सरकारी कार्यालय के समान कार्य न करते हुए मित्र सहयोगी के रूप में कार्य करें। इसका हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आयोग में आगे वाले व्यक्तियों को संविधान प्रदल अधिकार दिलाना हमारा कर्तव्य है। आप लोग देश के प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य करते हैं। आप राष्ट्र निर्माण के लिये अपना बेहतर योगदान करें।

7. साथ ही मैंने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के उद्देश्य, संवैधानिक प्रावधान, कार्यप्रणाली, जनजाति समाज के संरक्षण के लिये प्रावधान, उनके लिये बनाए गए एक्ट, नियम कानून इत्यादि की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। आयोग की कार्य प्रणाली तथा जो प्रकरण आयोग को अपीलों के माध्यम से प्राप्त हुए और सुनवाई में सफल रहे ऐसे प्रकरणों के उदाहरण प्रस्तुत कर सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को जागरूक करने का प्रयास किया गया।



(भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, झाँसी इकाई प्रबंधन के समीक्षा बैठक करते हुए
सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

दिनांक 20 जनवरी 2019 गोंड समाज महासभा प्रांतीय अधिवेशन एवं परिचय सम्मेलन

8. गोंड समाज महासभा मुख्य रूप से गैर राजनीतिक संगठन है और जनजाति समाज के सर्वार्गीण विकास के लिये स्वतंत्रता के पूर्व से निरंतर कार्यरत है। संस्था द्वारा जनजाति समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सौँख्यिक गतिविधियों तथा समाज सुधार के बिन्दुओं पर कार्य करती है। इसके साथ ही इस वर्ष अधिवेशन में युवक-युवती परिचय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।



(गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश के प्रांतीय अधिवेशन में
सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. का अभिनंदन एवं जनजाति सदस्यों के मध्य उपस्थिति)


9. गोंड समाज महासभा कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं द्वारा प्रबोधन के माध्यम से मुख्यरूप से जिन बिन्दुओं पर अपने विचार व्यक्त किये वे इस प्रकार से हैं :-

A. गोंड, गोंडी, गोंडवाना पर व्याख्यान।

- B. एक समाज, एक रिवाज, एक आवाज पर परिचर्चा।
- C. गोंड समाज की रियासत, सियासत, विरासत, पर व्याख्यान।
- D. गोंड समाज की वर्तमान, सामाजिक, आर्थिक, एवं शैक्षणिक, दशा पर दिशा।
- E. प्रदत्त मूल, संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन पर उद्बोधन।
- F. पाँचवीं अनुसूचि, पेसा एकट, वनाधिकार अधिनियम, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं आरक्षण पर उद्बोधन।
- 10.** गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश द्वारा अधिवेशन में राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, मानवीय राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश, के नाम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसे कि प्रथक से राज्यपाल महोदया मध्यप्रदेश को मेरे द्वारा पत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया है। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए उनके निराकरण का अनुरोध किया गया है :-
- A. सभी जिला मुख्यालयों पर 50 सीटर छात्रावास के स्थान पर 200 सीटर छात्रावास बनाए जाय।
 - B. गोंडी भाषा को राज्य में राजभाषा का दर्ज दिया जावे और संविधान की आठवीं अनुसूचि में शामिल करने के लिये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।
 - C. गोंडी भाषा को विलुप्त होने से बचाने के लिये शब्दकोष तैयार कराया जाय।
 - D. भोपाल के कमला पार्क में रानी कमलावती की प्रतिमा स्थापित कर उनके महल का जीर्णोद्धार कराया जाय।
 - E. गोंड समाज द्वारा चिह्नित गोंडीतीर्थ स्थलों को मुख्यमंत्री तीर्थयोजना में शामिल किया जाय।
 - F. स्वतंत्रता संग्राम में शामिल गोंड समाज के योगदान के लिये संग्रहालय बनाया जाय।
 - G. सभी पात्र वनवासियों को वनाधिकार का पट्टा दिया जाय।
 - H. मध्यप्रदेश जनजातीय लढ़ीजन्य संहिता 1992 को अद्यतन लागू किया जाय।
 - I. पाँचवीं अनुसूचि को प्रदेश में लागू कराया जाय।
 - J. गोंड समाज महासभा को भोपाल-जबलपुर में भवन हेतु शासकीय भूमि आवंटित की जाय।
 - K. मध्यप्रदेश में जनजाति समुदाय के देवस्थलों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाय।
 - L. मध्यप्रदेश में गोंडकालीन धरोहरों को संरक्षित किया जाय।
 - M. मध्यप्रदेश में प्रत्येक जिले में सतर्कता मानिटरिंग कमेटी में गोंड समाज महासभा के सदस्यों को शामिल किया जाय।
 - N. जनजातीय क्षेत्रों में शराब, मादक पदार्थों के निर्माण, क्य विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाय।
 - O. जनजाति क्षेत्रों में वनोपज संधारण, क्य-बिक्रय एवं खनिज पदार्थों के खनन का अधिकार जनजाति गोंड समाज महासभा की ग्राम कमेटी को दिया जाय।
- 11.** मैंने उद्बोधन के माध्यम से जनजाति समाज को उसकी गौरवशाली परंपरा से अवगत कराते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिये संघर्ष किया है। इसलिये हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। समाज से कुरीतियों को मिटाने तथा गोंड समाज के वैभव को पुनः जीवित करने

के लिये जनजाति समाज को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। जनजाति समुदाय को उसकी योग्यताओं से अवगत कराते हुए कहा कि देश को आगे बढ़ाने में आदिवासी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जनजाति सँस्कृति सम्पन्न और अनोखी है। इसलिये सँस्कृति जीवित है और देश और विश्व में इसे अपनाया जा रहा है। वर्तमान में आधुनिक समाज जनजाति समाज की गोदना कला को टेटू के नाम से अपना रहा है। हमारे संगीत के आधार पर ही फिल्मी दुनिया में गीत और संगीत बन रहे हैं और लोकप्रिय भी हो रहे हैं।

12. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की प्रक्रिया, संविधान में इसके गठन के उद्देश्य आवश्यकता के बारे में, पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, सर्वैधानिक प्रावधान, पदाधिकारियों के अधिकार और कार्यप्रणाली व आयोग के माध्यम से जनजाति वर्ग के पीड़ित व्यक्तियों को मिल रहे व्याय के बारे में आयोग के सफल प्रकरणों के माध्यम से अवगत कराया और जागरूक किया गया। मैंने उपरिथत समुदाय को बताया कि आयोग में प्राप्त शिकायतों, अपील, में सुनवाई कर व्याय दिलाने का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। प्रचलित शासकीय योजनाओं और उनका लाभ प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया से भी अवगत कराया।



(गोड समाज मठासभा अध्यप्रदेश के प्रांतीय अधिवेशन में
सुश्री अबुसुईया उड़के, उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. मंच पर पदाधिकारियों के साथ एवं ज्ञापन प्राप्त करते हैं)

13. मेरे द्वारा जनजाति समाज के उपस्थित सदस्यों का आहवान किया गया कि तरकी के लिये हमें स्वयं आगे आना होगा। प्रगति एवं कल्याण के सम्पूर्ण कार्य सरकारों पर छोड़ना उपयुक्त नहीं है। उच्च पदों पर विराजमान जनजाति वर्ग के सदस्यों को अपने समुदाय के व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान सकारात्मक दृष्टिकोण से नियमों से करना चाहिए। जनजाति वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों को अपने रवैये में सुधार लाने की आवश्यकता है। हम सभी एक होकर अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाएं, जिस दिन हम अपने कल्याण के लिये संकल्पित होकर एक हो जायेंगे उसी दिन से हमारा समाज तरकी करना प्रारंभ कर देगा।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuya Uikey
उपायका/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi



(गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश के प्रांतीय अधिवेशन में
सुश्री अनुसुईया उड्के, उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. मंच पर अपना संबोधन देते हुए)

14. विभिन्न जनजाति संगठनों के पदाधिकारियों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भेट कर अपनी समस्याओं के ज्ञापन भी प्रस्तुत किये। उनके द्वारा बताया गया कि :-

- A. अध्यक्ष, गोंड समाज महासभा सागर, दमोह, अनूपपुर, हरदा मध्यप्रदेश के ज्ञापनों को संबंधित विभाग जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री तथा कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रथक से प्रेषित किया गया है।
- B. अध्यक्ष, गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के अनुसार नरसिंहपुर, सागर एवं दमोह जिले के वन एवं राजस्व ग्राम खापा, हाड़ीकाट, महगां ढाना, झिल्पनी, आमापानी, गल्कुटी सहित 84 ग्रामों को नौरादेही वन अभ्यारण से विस्थापित किया जा रहा है, जबकि विस्थापन के पूर्व नवीन स्थल पर उन्हें उनकी भूमि, भवन के बदले भूमि भवन एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। ऐसी स्थिति में नवीन विस्थापन स्थल पर उनका जीवन यापन किस प्रकार होगा यह विचारणीय है। जनजाति आवेदकों द्वारा अनुरोध किया गया है कि उन्हें उनके मूल स्थान से हटाने के पूर्व विस्थापन स्थल पर सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जावें।
- C. मेरे द्वारा आयोग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों वन संरक्षक वन मंडलाधिकारी नौरादेही वन अभ्यारण सागर तथा कलेक्टर सागर, नरसिंहपुर, एवं दमोह को पत्र लिखकर वनवासियों को उनके मूल स्थान से हटाने के पूर्व नवीन स्थल पर सभी सुविधाएँ और जीवन यापन का साधन उपलब्ध कराया जावे तभी उन्हें उनके मूल स्थान से हटाया जावे। विस्थापन की कार्यवाही को स्थगित करते हुए नवीन स्थल पर मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

दिनांक 21 जनवरी 2019 आयोग में दर्ज प्रकरणों की सुनवाई

15. निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दिनांक 21 जनवरी 2019 को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में पूर्व से निर्धारित सात अपीलकर्ता सर्वश्री श्री फग्गूलाल, श्रीमती प्रभाबाई यहके, श्री उधो इरपाची, श्री संदीप उड्के, श्री मन्जू धुर्वे, श्री अतरु श्रीमती चन्द्रकांता उड्के के प्रकरण में सुनवाई की

गई। इन प्रकरणों में हुई चर्चा एवं लिये गये निर्णय व निर्देशों को प्रथम से कार्यवाही विवरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।



(आयोग में दर्ज प्रकरणों की छिन्दवाड़ा कलेक्टर कार्यालय में सुनवाई करते हुए
सुश्री अनुसुईया उड्के, उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

6- अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा :

- A. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, झाँसी इकाई में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एसोसियेशन तथा भारतीय मजदूर संघ के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में दिये गये मांगपत्र को प्रतिवेदन के बिन्दु कमांक दो एवं तीन में वर्णित किया गया है, तदानुसार कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।
कार्यवाही भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, कारपोरेट कार्यालय दिल्ली
- B. अधिकारियों ने कहा कि पब्लिक सेक्टर को सहयोग की आवश्यकता है जो कि दिया जाना चाहिए। सरकार स्तर से इस पर विचार कर निर्णय की अनुशंसा की जाती है।
कार्यवाही भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, कारपोरेट कार्यालय दिल्ली
- C. गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश द्वारा अधिवेशन उपरांत एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसकी मांगों को प्रतिवेदन के बिन्दु कमांक दस में उल्लेखित किया गया है। इस प्रतिवेदन को राज्यपाल महोदया मध्यप्रदेश को प्रेषित किया गया है, तदानुसार कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।
कार्यवाही जनजाति कार्य विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल
- D. जन प्रतिनिधियों से भैंट एवं कार्यक्रम में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जो आवेदन दिये गये थे उनका विवरण प्रतिवेदन के बिन्दु कमांक चौदह में दिया गया है, उनसे संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर सूचित करें।
कार्यवाही वन संरक्षक, वन मंडलाधिकारी, सागर, कलेक्टर सागर, दमोह, नरसिंहपुर, हरदा।
- E. आयोग में दर्ज प्रकरणों में दिनांक 21 जनवरी 2019 को सुनवाई के दौरान लिये गये निर्देशों पर समयावधि में कार्यवाही की जाय। विवरण प्रथक से भेजा जा चुका है।
कार्यवाही - कलेक्टर छिन्दवाड़ा

Anusuya
(सुश्री अनुसुईया उड्के)
सुश्री अनुसुईया उड्के Miss Anusuya Uikey
 राष्ट्रीय उत्तरायणीय जनजातिकालीन आयोग
 भारतीय संसदीय उपायकारी जनजाति विभाग
 (दोरा कर्सल सालू एवं एकाउन्टरी का संस्थान)
 नई दिल्ली/New Delhi